IJAER/ November-December 2024/Volume-13/Issue-6 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal) Impact Factor:7.06

आधुनिक राजस्थानी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी

Sunil sheoran

Research Scholar, Dr. K. N. Modi University, Newai, Rajasthan

Dr. Meena

Associate professor, Dr. K. N. Modi University, Newai, Rajasthan

सार

महिला सशक्तीकरण, शिक्षा और कौशल विकास के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी पहलों ने उनकी राजनीतिक भागीदारी को और मजबूत किया है। सांस्कृतिक बदलाव और लैंगिक समानता के बारे में बढ़ती जागरूकता ने भी नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने में भूमिका निभाई है। महिला नेताओं द्वारा मीडिया में प्रतिनिधित्व और वकालत ने अधिक महिलाओं को राजनीतिक करियर बनाने के लिए प्रेरित किया है। इन प्रगति के बावजूद, लिंग आधारित हिंसा, सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं और अपर्याप्त समर्थन संरचनाओं जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जो राजनीति में लैंगिक समानता के पूर्ण अहसास में बाधा डालती हैं। यह सार राजस्थान में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की गतिशीलता की खोज करता है, नीतिगत हस्तक्षेपों, सामाजिक-आर्थिक कारकों और सांस्कृतिक परिवर्तनों के प्रभाव की जाँच करता है। यह राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली उपलब्धियों और चल रही चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है, यह सुझाव देते हुए कि यद्यपि महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, राजस्थान की राजनीतिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की निरंतर और न्यायसंगत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।

मुख्यशब्दः *आधुनिक, राजस्थानी महिलाओं, राजनीतिक भागीदारी*

प्रस्तावना

भारत विश्व का सबसे बडा लोकतांत्रिक देश है जिसकी अपनी सभ्यता व संस्कृति है, जिस पर वह गर्व करता है। भारत एक विशाल व विकासशील देश है। इसकी कला, साहित्य दर्शन इसको मानव के अध्यात्म जीवन से जोडते है । जिसमें महिलाओं की अहम भूमिका होती है। महिलाओं के बिना श्रृश्टि की कल्पना भी नही की जा सकती है। पुरूष प्रधान समाज कभी स्वीकार नहीं कर पाया कि महिलाओं को उसका हक मिले, जिसने उसके जीवन में अतुलनीय योगदान दिया है। वैदिक काल में शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ग की बालिकाओं व राजकुमारियों को ही दी जाती थी जो अपवाद स्वरूप है। बौद्ध काल में भी महिलाओं की दशा में विशेष सुधार नही हुआ । मध्यकाल में भारत पर मुस्लिम सुल्तानों ने शासन किया, उस समय शिक्षा को ही एक सामाजिक कर्तव्य नही माना गया था महिला शिक्षा तो दूर की बात थी। ब्रिटिश काल में शिक्षा को अवश्य बढावा मिला, लेकिन नगन्य रही पुरूष प्रभुता समाज में महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण विकसित हुआ, उसके अन्तर्गत काम चलाने लायक अल्प शिक्षा व घर ग्रहस्थी की देखभाल तक उसकी सीमाएँ निर्धारित की गई थी ।

यह (आज) प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली महिला एवं पुरूष दोनो को उन्नति तथा उत्थान के समान अवसर प्रदान करती है । प्रजातंत्र की भावना के अनुरूप सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं के विकास तथा कल्याण के लिए आवश्यक समानता स्वतंत्रता एवं निर्णयकारी संस्थाओं में भागीदारी हेतु अनेक राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये है। आप विकसीत एवं विकासशील सभी देशों में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति में सुधार करने तथा उनकी स्थिति को सदृढ बनाने के प्रयास हर स्थान और स्तर पर किये जा रहे है। परिणामस्वरूप आप सभी स्थान एवं क्षेत्रों में महिलाओं के समुचित विकास के लिए अनुकूल वातावरण विकसित हो रहा है। महिलाओं को प्रशासन एवं राजनीति में समानाधिकार प्रदान करने में अग्रणी प्रयास करने वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फॉस, ब्रिटेन, डेनमार्क, नार्वे, फिनलैंड, जैसे देशों में साथ ही आज रूस जैसे साम्यवादी देश ईरान जैसे कटटपेयी राष्ट्र तथा अनेक अल्प विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में महिलाओं को राजनीतिक दृष्टि से शक्ति सम्पन्न बनाया जा रहा है। तथा महिलाएँ अपनी प्रभावशाली भूमिका से वैश्विक राजनीति में अपनी अहम उपस्थिति दर्ज कराने में सफल हो रही है।

उद्देश्य

1. राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी जैसे चुनावी रैलियों में शामिल होना
2. चुनावी राजनीति के कई अन्य पहलुओं में पूरी तरह से भाग लेने से रोक रही हैं।

राजस्थान में राजनीतिक एवं रचनात्मक पूर्व आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति

महिला जन-जागरण में महात्मा गांधी के विचारों ने, महिला समाज को गति देने में उत्प्रेरक का काम किया गांधी जी चाहते थे कि महिला शक्ति का उपयोग देश सेवा के लिए हो उनके आगमन से भारतीय महिलाओं में नव-जीवन का संचार हो गया। उन्होंने सोई हुई महिला शक्ति को न केवल जगाया बल्कि उनके गौरव और महत्व को समझा और समझाया। गांधी जी ने उनकी आत्मा को सच्चे अर्थों में पहचाना वे मेहिलाओं को त्याग, सहनशीलता, विनम्रता, श्रद्धा और विवेक की प्रतिमूर्ति मानते थे उन्होंने जगह-जगह घूमकर महिलाओं तक स्वतंत्रता, समानता और नवजागृति का संदेश पहुँचाया। साथ ही उनका भारतीय स्वरूप भी अक्षुण्ण रखा। उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान कराया तथा उनके आत्मविश्वास को प्रबल किया उन्होंने परिवार भावना से बढकर व्यापक सामाजिक भावना के विकास के लिये प्रत्येक महिला के मानसिक विकास को आवश्यक माना और साथ ही विश्व भावना तक उसका प्रसार चाहा। इसके लिये उन्होंने भारतीय महिलाओ की प्रगति को अवरूद्ध करने वाली समस्त सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट ही नहीं की बल्कि उनके मार्ग की बाधाओं को दूर करने के लिये अपनी पूरी शक्ति लगा दी।

गांधी जी के जीवन का महत्वपूर्ण कार्य महिलाओं का उद्धार करना था,समाज के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी सेवा महिलाओं के प्रति परम्परागत स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना था। महिलाओं के मन में बहुत कुछ कर गुजरने के लिये जोश व शक्ति थी, परन्तु संगठन के अभाव में वे अपने हृदय के भावों को कार्य रूप में परिणित नहीं कर पा रही थीं। गांधी जी ने उनके जोश और उत्साह को एक सूत्र में पिरोकर उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति तथा संगठन की भावना उत्पन्न की।

गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में कस्तूरबा को अपने सत्याग्रह के विचार की प्रेरणा देने वाली अपनी गुरू कहा है, उनका ध्यान महिलाओं की जुझारू क्षमता पर पहली बार दक्षिण अफ्रीका में गया। उन्होंने अनेक बार इसका उल्लेख किया है कि दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह आन्दोलन में उन्होंने महिलाओं में आत्मत्याग और पीड़ा सहने की अद्भूत क्षमता देखी,

जहाँ तक पुरुष व स्त्री के कार्यगत क्षेत्रों का सवाल है, तो गाँधी कार्यगत विशिष्टता में विश्वास करते थे एक ओर पुरुष का कार्य है कि वह परिवार के लिए रोटी का अर्जन करे, वहीं स्त्रियों का यह दायित्व है कि वह घर व बच्चों के पालन-पोषण में अपनी श्रेष्ठतम भूमिका अदा करे गाँधी के दृष्टिकोण में स्त्रियों की भूमिका एक पालनकर्त्ता की थी। उनका मानना था, महिलाऐं मुख्य रूप से घर गृहिणी होती है, नौनिहालों की उत्तम परवरिश महिलाओं की मुख्य व एकाधिकारपूर्ण जिम्मेदारी होती है। बिना उनके लालन-पालन के मानवता के अस्तित्व कदापि संभव नहीं है, उन्होंने विवाह को महिलाओं के लिए अवश्यंभावी चीज मानने से इंकार कर दिया।

यद्यपि गाँधी सार्वजनिक क्षेत्र में स्त्रियों की सक्रिय भूमिका के प्रबल पैरोकार नहीं थे फिर भी जब 1921 में महिला मताधिकार का मुद्दा उठा तो उन्होंने इसका पुरजोर समर्थन किया तथा सत्याग्रह आंदोलन व दांडी मार्च की सफलता में स्त्रियों की उत्साहपूर्ण व सक्रिय भागीदारी की निर्णायक भूमिका थी, गाँधी अहिंसक संघर्षों में महिलाओं की भूमिका को अपनी मूल अवधारणा के विपरीत नहीं मानते थे। वरन इसके उलट उनका ख्याल था, सत्याग्रह में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर महिलाएं सम्पूर्ण मानवता के पालन-पोषण की अपनी जिम्मेदारी को और अधिक सुविस्तृत व सुव्यापक करती है, कैथल में स्त्रियों की एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा - "समाज की बुनियाद घर के अस्तित्व पर टिकी होती है तथा 'धर्म' के विकास का श्रेष्ठतम स्थान घर होता है ।

राजस्थान में पूर्व आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति

मध्यकाल में विदेशियों के आगमन से स्त्रियों की स्थिति में जबरदस्त गिरावट आयी। अशिक्षा और रूढ़ियाँ जकड़ती हुई, घर की चाहरदीवारी में कैद होती गई और नारी एक अबला, रमणी और भोग्या बनकर रह गई, आर्य समाज जैसी अनेकों समाजसेवी संस्थाओं ने नारी शिक्षा आदि के लिए प्रयास आरम्भ किये। 19वीं सदी के पूर्वार्द्ध में भारत के कुछ समाजसेवियों ने अत्याचारी सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठायी। इन्होंने तत्कालीन अंग्रेज शासकों के समक्ष स्त्री पुरुष समानता, स्त्री-शिक्षा, सती प्रथा पर रोक तथा बहुविवाह पर रोक की आवाज उठायी, इसी का परिणाम था कि सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829, 1856 में हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1891 में एज ऑफ कन्सटेन्ट बिल, 1891 में बहुविवाह रोकने के लिए वेटिव मैरिज एक्ट पास कराया। इन सभी कानूनों का समाज पर दूरगामी परिणाम हुआ,वर्षों से नारी स्थिति में आयी गिरावट में रोक लगी। आने वाले समय में स्त्री जागरूकता में वृद्धि हुई और नये नारी संगठनों का सूत्रपात हुआ जिनकी मुख्य मांग स्त्री - शिक्षा, दहेज, बाल-विवाह जैसी कुरीतियों पर रोक, महिला अधिकार, महिला शिक्षा की मांग की गई।

महिलाओं के पुनरोत्थान का काल ब्रिटिश काल से शुरू होता है, ब्रिटिश शासन की अवधि में हमारे समाज की सामाजिक व आर्थिक संरचनाओं में अनेक परिवर्तन किए गए, ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों की अवधि में स्त्रियों के जीवन में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनेक सुधार आये औद्योगिकीकरण, शिक्षा का विस्तार, सामाजिक आंदोलन व महिला संगठनों का उदय व सामाजिक विधानों ने स्त्रियों की दशा में बड़ी सीमा तक सुधार की ठोस शुरूआत की,

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक स्त्रियों की निम्न दशा के प्रमुख कारण अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, धार्मिक निषेध, जाति-बन्धन, स्त्री नेतृत्व का अभाव तथा पुरुषों का उनके प्रति अनुचित दृष्टिकोण आदि थे हिन्दू संस्कृति में स्त्रियों की एकान्तता तथा उनके निम्न स्तर के लिए पाँच कारकों को उत्तरदायी ठहराया है, ये हैं हिन्दू धर्म, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, इस्लामी शासन तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद, हिन्दूवाद के आदर्शों के अनुसार पुरुष स्त्रियों से श्रेष्ठ होते हैं और स्त्रियों व पुरुषों को भिन्न-भिन्न भूमिकायें निभावी चाहिए, स्त्रियों में माता व गृहणी की भूमिकाओं की और पुरुषों से राजनीतिक व आर्थिक भूमिकाओं की आशा की जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकार द्वारा उनकी आर्थिक, सामाजिक,

शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा में समाहित करने हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों का संचालन किया गया है, महिलाओं को विकास की अखिल भारतीय धारा में प्रवाहित करने, शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति सजग करते हुए उनकी सोच में मूलभूत परिवर्तन लाने, आर्थिक गतिविधियों में उनकी अभिरूचि उत्पन्न कर उन्हें आर्थिक-सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भर और स्वावलम्बन की ओर अग्रसारित करने जैसे अहम उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पिछले कुछ दशकों में विशेष प्रयास किये गए हैं।

राजस्थान में महिला शिक्षा एवं नवाचार

हमारे देश में आजादी से पूर्व राजस्थान मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र था। उसमें केन्द्रशासित प्रदेश अजमेर के अतिरिक्त 21 देशी रियासतें थी,इन रियासतों में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, कोटा-बूंदी, सिरोही, जयपुर, अलवर, जैसलमेर, करौली, झालावाड़, टोंक, भरतपुर और धौलपुर थीं,राजस्थान के शौर्य का बखान करते हुये सुप्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टॉड ने अपने ग्रन्थ " अनलस एण्ड एक्टीक्वीटीज ऑफ राजस्थान" में कहा है कि राजस्थान में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसकी अपनी थर्मोपली नहीं हो और ऐसा कोई गांव या नगर नहीं है जिसमें अपना "लियोनिडास " पैदा ना किया हो। टॉड का यह कथन व केवल प्राचीन और मध्ययुग में वरन् आधुनिक काल में भी इतिहास की कसौटी पर खरा उतरा है।

किसी भी समाज के लिए यह आवश्यक है कि उसमें स्त्रियों की स्थिति क्या है तथा समाज की विविध समस्याओं के प्रति उनमें किसी जागृति है साथ ही अपनी राजनीतिक जागृति एवं अधिकारों के प्रति वे किस सीमा तक संघर्ष कर सकती है, 19वीं शताब्दी में राजस्थान क्षेत्र में सामंतवादी शासन पद्धति प्रचलित थी, स्वभावत: ही सामंतवाद अलोकतान्त्रिक एवं एक व्यक्ति का शासन होता है जिसमें स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों आदि का कोई सरोकार नहीं होता, उल्लेखनीय है कि सामन्तवादी विचारधारा मध्ययुगीन विचारों से प्रेरित एवं प्रभावित थी, जिसमें आधुनिक तत्वों के स्थान पर प्राचीनकालीन प्रथायें, मान्यतायें, परम्पराओं को व्यक्तिगत जीवन में अत्यधिक महत्व दिया जाता था एवं उन्हें लागू करने के लिए तत्कालीन समाज किसी भी सीमा तक जा सकता था, ऐसी विकट स्थिति में महिलाओं की स्थिति अत्यन्त ही दयनीय थी, उन्हें राजनैतिक, सामाजिक एवं सम्पत्ति सम्बन्धी किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं थे, स्त्रियों को अनेक प्रकार की प्रथायें, परम्पराओं, मान्यताओं का आरोपित कर रखा था जैसे:- बाल-विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज-प्रथा, विधवा विवाह का नारकीय जीवन आदि।

इस प्रकार 19वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलन के समाज सुधार कार्यों से महिलाओं में स्फूर्ति का विकास हुआ, इसके अलावा 19वीं शताब्दी में देश में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए गतिविधियाँ भी चल रही थी जिनसे महिलाओं को व्यापक प्रेरणा प्राप्त हुई, परिणामस्वरूप महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगी और वे अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वाह के साथ-साथ राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ने लगी, धीरे-धीरे महिलायें अपने अधिकारों के प्रति इतनी अधिक जागरूक होती चली गई कि वे राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग करने लगी,राजस्थान की महिलायें अपने शौर्य, त्याग और बलिदान के लिए सदैव ही अग्रणी रही है, यहाँ कि महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खेत-खलिहान और कारखानों में काम किया है, वहीं इन्होंने आंदोलन में अत्याचारों के विरूद्ध पुरुषों के साथ संघर्ष किया। राजस्थान की आम महिलाओं में जाग्रति का अंकुर 1925 में प्रस्फुटित हुआ, समाज सुधार आंदोलन में घूंघट हटाना, नव जाग्रति के लोक गीत गाना, रूढ़िवादिता का त्याग और अंधविश्वासों के त्याग आदि अधिकांश कार्यक्रम महिलाओं के लिए आयोजित किए गए, जिस द्रुत गति से महिलाओं ने इन कार्यों को अपनाया आज उसी का परिणाम है कि आज इस राज्य की महिलाओं की शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियाँ अत्यधिक अच्छी एवं उच्च प्राथमिकता वाली

रही, राजस्थान में महिलाओं में प्राचीनकाल से ही त्याग एवं बलिदान के संस्कार रहे हैं, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म से संबंधित हो, ये महिलायें विपत्तिकाल में भी पुरुषों के साथ भागीदार रही हैं और आज भी हैं।

जयसिंह पुरा काण्ड पर महिला सभा

जयसिंह पुरा में डुडलोद ठाकुर के छोटे भाई ईश्वर सिंह द्वारा गोली काण्ड में चौधरी टीकू राम की हत्या एवं महिलाओं पर अत्याचारों को लेकर स्थानीय स्तरों पर महिलाओं ने सभाएँ आयोजित की,पातुसरी गाँव में श्रीमती बनारसी देवी धर्मपत्नी श्री सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में बड़ी सभा हुई जिसमें आस-पास के गाँवों की हजारों महिलाओं ने भाग लिया, साथ ही सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अत्याचार का मुकाबला दुश्मन को अत्याचार स्थल पर खत्म करके ही लिया जाना चाहिए, चाहे उसमें महिलाओं को बलिदान क्यों न देना पड़े। यह घटना सन् 1935 की है,अत्याचारों के खिलाफ महिलाओं ने योजना बनाई थी,उनमें निर्भिकता एवं आत्म विश्वास जागरूक हो चुका था। वे प्रदेश की महिला न होकर युद्ध स्थल की सेविकाएँ बन चुकी थी,ये महिलाये झांसी की रानी की तरह आंदोलन में कूद पड़ी, इन्होंने ईश्वर सिंह के खिलाफ एक बड़ी योजना बनायी। ये महिलायें संगठन में एकत्रित होकर एक सभा को बुलाया, इन्होंने सभी की राय से योजना बनायी,इस योजना का उद्देश्य सभी को न्याय दिलाना था,इन्होंने इस अत्याचार का अच्छी प्रकार से मुकाबला किया। इस संगठन का नेतृत्व कर्ता श्रीमती बनारसी देवी को बनाया गया,बनारसी देवी ने कहा - " कि हम ईश्वर सिंह का खात्मा आंदोलन स्थल पर ही करके रहेंगे।

इसमें चाहे सभी महिलायें बलिदान ही क्यों न हो चाहे हम सभी महिला अपनी आखरी सांस तक लड़ते रहेंगे,इस प्रकार से श्रीमती बनारसी देवी और उनकी साथ की सभी महिलाओं में अति उत्साह आ गया था, ये सभी महिलायें दुर्गा रूपी रूप धारण करके 'ईश्वर सिंह' नामक राक्षस का वध करने के लिए तैयार हो गई थी, ये आंदोलन स्थल में अद्वितीय साहस, वीरता, निर्भिकता से लड़ती रहती रही तथा अपने प्राणों की परवाह किये बगैर ये लड़ती रही, इन महिलाओं की अन्त में विजय हुई और इनकी मांगे स्वीकार कर ली गई, इस प्रकार से ये महिलायें वर्तमान मं समाज के लिए एक आदर्श बनी हुई है। ये उन महिलाओं के लिए आदर्श है जो अपने अत्याचारों को नहीं बताती है अर्थात् अत्याचारों के खिलाफ आवाज नहीं उठाती है, महिलाओं को समाज में आगे आना चाहिए।

कृषक आंदोलनों का स्वरूप

राजस्थान में बढ़ती कृषक वर्ग में जागृति के चलते 1926 में मारवाड़ स्टेट्स पिपुल्स कॉन्फ्रेंस' की स्थापना की गई। जिसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर आर्थिक एवं राजनीतिक जागृति लाना था,बलुड़ा, बागरी, रायपुर, जैतारण, सोजत आदि परगनों में कर न देने का निर्णय लिया गया। इस कारण महाराणा उम्मेदसिंह ने कांफ्रेंस पर प्रतिबन्ध लगा दिया,1929 में अजमेर से निकलने वाले समाचार पत्र ‘तरुण राजस्थान में और ब्यावर में आयोजित एक सार्वजनिक सभा के विचार प्रकट किये गये तथा "पोपा बाई की पोल" नामक पुस्तक में महाराणा की विलासिता की सामग्री की चर्चा की गई। जोधपुर में भंवरलाल सुराणा के सभा में भाषण दिये जाने के कारण शासक वर्ग द्वारा उसकी राजनीतिक गतिविधियाँ समाप्त प्रायः करने के लिए हितकारिणी सभा पर प्रतिबन्ध लगा दिया।

1931 में चाँद कौर कारण शारदा की अध्यक्षता में मारवाड़ स्टेट्स कांन्फ्रेंस का अधिवेशन पुष्कर में हुआ। उधर जोधपुर में 1934 में मारवाड़ पब्लिक सेफ्टिड आर्डिनेस, कानून के तहत नागरिक स्वतन्त्रता समाप्त कर दी गई तथा सभी संगठनों को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद् का गठन किया गया जिसका कार्य संवैधानिक सुधार एवं कृषक समस्याओं का समाधान करवाना था।

राज्य सरकार ने इसे भी अवैधानिक घोषित कर दिया जून 1940 में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार इसे पुनः मान्यता प्राप्त हो गई। इस प्रकार कृषक आंदोलन का स्वरूप जागृति और दमन की नीतियों में ही चलता रहा मारवाड़ राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य था।

जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण राजस्थान का 26 प्रतिशत भू-भाग था,मारवाड़ रियासत में किसान राजनैतिक जन-जागृति का सूत्रपात 1905 ई. के बंगाल विभाजन तथा उसकी प्रतिक्रियास्वरूप हुए स्वदेशी आन्दोलन के साथ हुआ,राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी हरिपुरा अधिवेशन से ही रियासती जनता के संघर्ष के साथ अपने को जोड़ने का निर्णय किया,किन्तु इससे भी पूर्व रियासत में राजनैतिक चेतना के सृजन का श्रेय महर्षि दयानन्द सरस्वती और उनके द्वारा स्थापित संस्था 'आर्य समाज' को ही जाता है।

किसान संघर्ष : प्रथम चरण (1922 - 1930)

शेखावाटी का किसान संघर्ष विभिन्न ठिकानों एवं जागीरों में विभक्त होने के उपरान्त भी एक संगठित सामन्त विरोधी संघर्ष था। शेखावाटी किसान संघर्षों के दौरान एक ठिकाने में घटने वाली घटना ने सम्पूर्ण शेखावाटी के किसानों को प्रभावित किया था,

1921 में चिडावा सेवा समिति के बाद सीकर ठिकाने के किसानों ने 1922 में किसान आंदोलन आरम्भ किया,इसका मूल कारण ही ठिकाने की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था में ही विद्यमान थे। किन्तु 1920 के उपरान्त ही जन-चेतना के विकास का तत्कालिक कारण थी। इसका स्थानीय तात्कालिक कारण भू-राजस्व में की गयी अचानक वृद्धि था,रावराजा कल्याणसिंह ने मृत रावराजा की मृत्यु संस्कार एवं अपनी गद्दी नशीनी के समारोहों में अधिक राशि के खर्च होने के बहाने प्रचलित भू-राजस्व दर से सवाया तथा ड्योढा भू-राजस्व वसूल करना आरंभ कर दिया। किसानों ने बढ़े हुए भू-राजस्व के विरोध स्वरूप भू-राजस्व न देने का निर्णय लिया,किन्तु उन्हें ठिकाने के दमनात्मक साधनों का मुकाबला करना पड़ा। न केवल भू-राजस्व की वृद्धि बल्कि रावराजा कल्याणसिंह के गद्दी नसीनी के साथ फैली प्रशासनिक अराजकता ने भी किसानों में भारी असंतोष उत्पन्न किया था। रावराजा अपनी अयोग्यता के कारण पूरी तरह हाथों कठपुतली बन गया था बल्कि सीकर के अन्य कर्मचारी भी मनमानी करने लगे थे। किसानों को ये लोग निरन्तर रूप से उत्पीडित करने लगे एवं तथाकथित न्याय प्रशासन एक मजाक बनकर रह गया था। निरन्तर उत्पीड़न, अराजकता, भू-राजस्व की वृद्धि एवं अन्याय से दुःखी किसान जनवरी 1923 में लगातार जयपुर दरबार एवं अंग्रेज रेजीडेन्ट के समक्ष अपना दुखड़ा सुनाने एवं न्याय मांगने हेतु गऐ। इन किसानों में केवल जाट जाति के ही नहीं बल्कि सभी जातियों के किसान सम्मिलित थे।

इन किसानों की शिकायत थी कि "सीकर ठिकाने में कृषि भूमि के मापन हेतु कोई अधिकृत जरीब नहीं है, उपयुक्त भूमि कागजातों का भी अभाव है एवं भू-राजस्व की कोई निर्धारित दर नहीं है एवं भू-राजस्व की मांग में निरन्तर वृद्धि होती रहती है तथा भू-राजस्व के अतिरिक्त वे भारी संख्या में अनाधिकृत लाग-बाग देने हेतु मजबूर किये जाते हैं एवं उनका भुगतान में असमर्थता व्यक्त करने पर उन्हें काल कोठरी में डाल दिया जाता है तथा अन्य तरीकों से उत्पीड़ित किया जाता है एवं उन्हें बलात् उनकी जोतों से बेदखल कर दिया जाता है। उनसे बेगार ली जाती है जो दरबार के द्वारा प्रतिबंधित है। ठिकाने के राजस्व अधिकारी उनसे रिश्वत लेते हैं। 1923 के वर्ष में सीकर के किसानों के प्रतिनिध मण्डल निरन्तर जयपुर पहुँचते रहे। समय-समय पर सीकर के किसानों ने जो मांगें दरबार के समक्ष रखीं वे संक्षेप में इस प्रकार थीं :- भूमि की किस्म एवं जलवायु के आधार पर भू-राजस्व स्थायी रूप से निर्धारित किया जाए, अकाल के समय भू-राजस्व में पूरी छूट दी जाये, सभी लाग-बागों को अवैध घोषित किया जाये, बेगार समाप्त की जाये, काल कोठरी द्वारा

उत्पीड़ित नहीं किया जाये, ग्राम पंचायतों को न्यायायिक अधिकार दिये जायें, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधायें दी जायें, जकातें तथा सीमा शुल्क समाप्त किया जाये, ठिकाने के न्यायिक अधिकार समाप्त कर न्याय प्रशासन को सीधे राज्य (जयपुर) के नियन्त्रण में रखा जाए, आदि ।

जयपुर - दरबार के किसानों की शिकायतों एवं आरोपों को गम्भीरता से नहीं लिया तथा किसानों को सलाह दी कि वे अपनी शिकायतें सीकर के रावराजा के समक्ष प्रस्तुत करें। किसानों द्वारा यह सम्भव नहीं था क्योंकि उनके जयपुर आने की घटनाओं के कारण रावराजा उनसे क्रोधित था,अतः किसानों ने जयपुर राज्य पर निरन्तर दबाव बनाये रखना ही उपयुक्त समझा एवं जयपुर - दरबार के समक्ष सीकर के किसानों की परेशानियाँ तथा मांगे प्रतिनिधि मण्डलों के माध्यम से लगातार पहुँचती रहीं। 1922 में की गयी भू-राजस्व की वृद्धि समाप्त कर दी जायेगी एवं भविष्य में भी भू-राजस्व में बढ़ोतरी नहीं की जायेगी। रावराजा ने इस अधिकारी के भू-राजस्व सम्बन्धी समझौते को स्वीकृति प्रदान की एवं किसानों द्वारा सीकर से जयपुर यात्राओं पर किये गये व्यय की पूर्ति करने का आश्वासन भी दिया।

निष्कर्ष

नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण धीरे-धीरे बदल रहा है, जो महिला राजनेताओं की स्वीकृति और समर्थन में योगदान दे रहा है। राजस्थान में प्रमुख महिला नेताओं की सफलताएँ प्रेरक उदाहरण के रूप में काम करती हैं, जो अधिक महिलाओं को राजनीतिक पदों की आकांक्षा करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। निष्कर्ष रूप में, राजस्थान की राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी लैंगिक समानता और समावेशी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सन्दर्भ

[1] कालेलकर, काकासाहब, जमनालाल बजाज की डायरी, जमनालाल बजाज सेवा ट्रस्ट, वर्धा, 1966, पृ. 20

[2] चौधरी, रामनारायण, बीसवीं सदी का राजस्थान, कृष्णा ब्रदर्स, अजमेर, 1980 15

[3] कोठारी, देव एवं पाण्डेय, तंत्रता आन्दोलन में मेवाड़ का योगदान, राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर, 1991, पृ. 25

[4] गुप्ता, डॉ. के. एस. राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, यूनिक ओझा, डॉ. जे. के; ट्रेडर्स, जयपुर, 2001, पृ. 8

[5] गुप्ता, के. एस., 19वीं सदी के राजस्थान का राजनैतिक एवं सामाजिक अध्ययन, जोधपुर, 1986, पृ. 58

[6] 18 चौधरी, रामनारायण, आधुनिक राजस्थान का उत्थान, राजस्थान प्रकाशन मण्डल, अजमेर, 1974, पृ. 87

[7] केला, भगवानदास, देशी राज्यों की जन जागृति, इलाहाबाद, 1948

[8] चन्द्र, विपिन, भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास, अनामिका पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2000, पृ. 68

[9] चन्द्र, विपिन, त्रिपाठी, कमलेश व वरूण, स्वतंत्रता संग्राम, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, नई दिल्ली, 1972, पृ. 24

[10] काला, गुलाब चन्द, राजस्थान परिचय ग्रन्थ, जयभूमि कार्यालय, जयपुर, 1954, पृ.

[11] कुमार, प्रभात "स्वतंत्रता संग्राम और गांधी का सत्याग्रह " हिन्दी माध्यम कार्यान्वय दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 1994

[12] कुमार, हरीश "सामाजिक राजनैतिक परिवर्तन" अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस प्रकाशक, नई दिल्ली, 2006

[13] गांधी, महात्मा "मेरे सपनों का भारत" नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, 2008

[14] कौशिक, आशा "गांधी नयी सदी के लिए" रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एवं दिल्ली, 2000

[15] सिंह, वी. एन. एवं सिंह, जनमेजय "भारत में सामाजिक आन्दोलन" रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एवं दिल्ली, 2005

[16] शर्मा, वीरेन्द्र भारत के पुनः निर्माण में भारत का योगदान" श्री पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली, 1984

[17] सिंह, रामजी, "गांधी दर्शन मीमांसा' बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, 1973

[18] शर्मा, ब्रह्मदत्त, "गांधी एवं भारतीय राष्ट्रवाद" रचना प्रकाशन, जयपुर, 2007

[19] रत्तू, कृष्ण कुमार एवं रत्तू, कमला "समग्र गांधी दर्शन, गांधी चिन्तन और वर्तमान प्रसंग" आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2009

[20] कालेलकर, काकासाहब, जमनालाल बजाज की डायरी, जमनालाल बजाज सेवा ट्रस्ट, वर्धा, 1966

[21] राकेश, एम.ए., श्री जवाहिर लाल जैन (जीवन झांकी), प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर, 2008

[22] विद्यार्थी, रामेश्वर, सिद्धराज ढड्ढा (संस्मरण एवं पत्र व्यवहार), प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर, 2009

[23] शर्मा, श्री प्रकाश, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के अमर पुरोधा, राजस्थान स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति, जयपुर, 2002

[24] डॉ. पेमाराम, एग्रेरियन मूवमेन्ट इन राजस्थान, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 1986